राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **208/2020**
GCMS No.2020/00279

1. दाताराम पुत्र मालिया आयु 65 वर्ष
2. ओमप्रकाश पुत्र मालिया आयु 55 वर्ष
3. यादराम पुत्र मालिया आयु 42 वर्ष
4. जयराम पुत्र मालिया आयु 45 वर्ष
5. सुनिता देवी पत्नी स्व. श्रीराम आयु 45 वर्ष
6. आशिष पुत्र श्रीराम नवीरा मालिया 12 वर्ष
7. करीना पुत्री श्रीराम आयु 14 वर्ष
8. रवीना पुत्री श्रीराम आयु 15 वर्ष

नाबालिगान जरिये नेक्सट फ्रेण्ड अपनी माता सुनिता देवी पत्नी श्रीराम समस्त जाति गुर्जरान निवासीगण रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... आवेदकगण

<u>ब–ना–म</u>

1. दुर्गा पुत्र रामरिख आयु 68 वर्ष
2. गणपत पुत्र रामरिख आयु 72 वर्ष
3. अमीलाल पुत्र माडू आयु 40 वर्ष
4. नरथूराम पुत्र माडू आयु 60 वर्ष
5. प्रकाश चन्द पुत्र माडू आयु 42 वर्ष
6. श्रवण देवी पत्नी माडू आयु 80 वर्ष
7. शारदा पुत्री माडू आयु 45 वर्ष

समस्त जाति गुर्जरान निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

8. सुनहरी पुत्री माडू आयु 48 वर्ष .... मृतक

8/1 मुकेश देवी पुत्री सुनहरी व धर्मपाल आयु 42 वर्ष
8/2 शमशेर पुत्र सुनहरी व धर्मपाल आयु 40 वर्ष
8/3 रणधीर पुत्र सुनहरी व धर्मपाल आयु 38 वर्ष
8/4 रामसिंह पुत्र सुनहरी व धर्मपाल आयु 35 वर्ष
जाति गुर्जर निवासीगण रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 [illegible] आबाद कसोला तहसील व जिला रेवाड़ी, हरि0

9. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:09:26 IST
Reason: SelfAttested

.... अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक 03.07.2025

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम रोजड़ा पटवार हल्का मान्दरी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 657 रकबा 0.40 है. भूमि के खातेदार काश्तकार आवेदकगण है जिस पर आवेदकगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। इसी प्रकार ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 964/482 रकबा 1.20 है. के अनावेदक सं. 1 से 3 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिस पर अनावेदकगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं। आवेदकगण के खेत खसरा नंबर 657 रकबा 0.40 है. से सटकर पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 631 राजकीय भूमि व इससे सटकर पश्चिम दिशा में अनावेदकगण की भूमि खसरा नंबर 964/482 रकबा 1.20 है. है तथा अनावेदकगण की भूमि खसरा नंबर 964/482 रकबा 1.20 है. के पश्चिम के मुख्य सड़क रोजड़ा से डुमोली स्थित है। आवेदकगण अपनी भूमि खेत खसरा नंबर 657 में मुख्य सड़क रोजड़ा से डुमोली से डुमोली से पूर्व दिशा में अनावेदकगण की भूमि खसरा नंबर 964/482 की उत्तरी मेड़ से सहारे–सहारे होकर इसके पूर्व में स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 631 में से होकर आते जाते हैं। आवेदकगण कदीम से ही उक्त रास्ते से होकर ही अपने समस्त कृषि कार्य खेत जोतना, फसल काटना, फसल का परिवहन करना तथा पशु ऊंटगाड़ी लाने ले जाने का कार्य करते रहे हैं। उक्त रास्ते का नजरी नक्शा प्रस्तुत है जिसे नजरी नक्शे में सुर्ख रंग से दर्शाया गया है जो आवेदन पत्र का भाग है। आवेदकगण के पास अपनी भूमि खसरा नंबर 657 व उससे आगे अन्य खेतों में आने जाने हेतु उपरोक्त वर्णित रास्ता ही एक मात्र रास्ता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु आवेदकगण के पास नहीं है तथा उपरोक्त रास्ता आवेदकगण के लिए सबसे छोटा, सुगम व अत्यांतिक आवश्यकता का भी है। इसलिए आवेदकगण को यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी स्थित आम सड़क रोजड़ा–डुमोली के पूर्व दिशा में स्थित भूमि ख.नं. 964/482 की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे राजकीय भूमि खसरा नंबर 631 की पश्चिमी सीमा तक 11 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदकगण सं. 1 लगायत 4 व 6 लगायत 8 की ओर से जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदकगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि ग्राम रोजड़ा पटवार मण्डल मान्दरी स्थित भूमि ख.नं. 657 रकबा 0.40 है. का ही खातेदार काश्तकार होना दर्ज किया है जबकि आवेदकगण खाता सं. 143 के ख.नं. 632 रकबा 0.26 है., ख.नं. 633 रकबा 0.44 है., ख.नं. 634 रकबा 0.15 है., ख.नं. 639 रकबा 0.76 है., ख.नं. 655 रकबा 0.68 है., ख.नं. 656 रकबा 0.34 है. के भी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा ख.नं. 657 भी इसी खाते में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण भूमि ख.नं. 657 के आस पास में ही स्थित है। उक्त तथ्य को आवेदकगण ने जानबूझकर छुपाया है। आवेदकगण ने अपने आवेदन पत्र में ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि ख.नं. 964/482 रकबा 1.20 है. के अनावेदकगण सं. 1 लगायत 3 को ही संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार होना दर्ज रिकार्ड बताया है जबकि उक्त सम्पूर्ण भूमि के अनावेदक सं. 1 लगायत 8 संयुक्त रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:09:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जो आवेदकगण द्वारा पेश की गई जमाबंदी से भली भांति साबित है। आवेदकगण का अपने खेत ख.नं. 657 में आवागमन करने का सबसे छोटा सरल व सुगम रास्ता ग्राम रोजड़ा से डुमोली जाने वाली आम डामरीकरण सड़क से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला आम कटानी रास्ता है जो आगे खेतों में जाता है तथा जो ग्रेवल सड़क है इसी ग्राम कटानी रास्ते पर आवेदकगण का खेत स्थित है तथा इसी खेत के आगे के खेत को छोड़कर आवेदकगण के स्वयं के खेत स्थित है जहां से आवेदकगण का अपने खेत में आना जाना नियमित होता है। आवेदकगण के दोनों तरफ के खेतों के बीच स्थित खेत की दूरी मात्र 80 फीट ही है। आवेदकगण का अपने खेत ख.नं. 657 में आने जाने का एक अन्य रास्ता शिमला से कोपर जाने वाली आम सड़क से सटकर स्थित खेत ख.नं. 658 से भी है जिसकी दूरी लगभग 250 फीट है तथा इधर से भी आवेदकगण का अपने खेत खनं. 657 में आना जाना रहा है। आवेदकगण ने अनावेदकगण के खेत ख.नं. 964/482 के आगे स्थित ख.नं. 631 रकबा 1.16 है. गैर मुमकिन नाले की भूमि से भी रास्ता मांगा है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गैर मुमकिन नदी नाला, जोहड़, गोचर भूमि का कोई भी राज्य सरकार रास्ता नियमन व पट्टा जारी नहीं कर सकती व ना ही उसकी किस्म परिवर्तित कर सकती है इसलिये आवेदकगण का उक्त आवेदन पत्र किसी भी स्टेज पर पोषणीय नहीं है। आवेदकगण का आवेदन पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

अनावेदक सं. 5 का जवाब अवसर बन्द किया गया। अनावेदक सं 9 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की बिन्दुवार रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2021/1805 दिनांक 21.09.2021 से प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है कि :–

1. प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है और यह केवल जोत की सुविधा के लिए नहीं है। आवेदक सपरिवार मकानात बनाकर आबाद है।
2. आवेदक द्वारा ग्राम रोजड़ा के ख.नं. 964/482 की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे होकर पश्चिम मे रोजड़ा–डुमोली डामर सड़क पर पहुंच मार्ग का आवेदन किया है। खसरा नंबर 964/482 की उत्तरी सीमा के पश्चिम में अन्य खातेदारों की कृषि भूमि खसरा नंबर 482 है जिसके खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा ख.नं. 964/482 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे ख.नं. 361 किस्म गै.मु. नाला है जो पहुंच मार्ग को बाधित करता है।
3. आवेदकगण की खातेदारी के ख.नं. 632, 633, 634, 639, 655, 656, 657 है। ख.नं. 639 व 657 के मध्य ख.नं. 636 व 637 है जिसकी दूरी सबसे कम है ख.नं. 639 के उत्तर में ख.नं. 969/632 गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है। लेकिन ख.नं. 636 व 637 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

उक्त रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का मान्दी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मान्दरी की मूल मौका जांच रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो शामिल पत्रावली की गई।

उक्त मौका जांच रिपोर्ट के विरूद्ध प्रार्थी संख्या 1 ने आपत्ति [illegible] प्रस्तुत किया। प्रार्थी सं. 1 के आपत्ति प्रार्थना पत्र को स्वीकार [illegible] रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को लिखा गया।

तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1850 दिनांक 09.03.2022 से प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:09:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

1. वाके ग्राम रोजड़ा जमाबन्दी 2073–2076 के खाता नंबर 143 के ख.नं. 632, 633, 634, 639, 655, 657 कुल किता 7 कुल रकबा 3.03 है. भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।
2. वाके ग्राम रोजड़ा जमाबन्दी संवत् 2073–76 के ख.नं. 964/482 रकबा 1.20 है. भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है।
3. ख.नं. 657 में रोजड़–डुमोली डामर सड़क पर जाने का सबसे लघुतम रास्ता ख.नं. 964/482 में से होकर ख.नं. 480 की उत्तरी सीमा के सहारे से है जिसकी लम्बाई ख.नं. 631 गै.मु. नाला में 16 मीटर तथा ख.नं. 964/482 में 116 मीटर है 4 मीटर चौड़ाई से 116x4 = 464 वर्गमीटर भूमि रास्ते में आती है जिसकी डी.एल.सी. दर 30401 है जिसकी दुगुनी राशि 60810/–रू. बनती है।

उक्त रिपोर्ट के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मान्दरी की मूल मौका जांच रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो शामिल पत्रावली की गई।

अनावेदकगण सं. 1 लगायत 4 एवं 6 लगायत 8 ने तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त रिपोर्ट बिना मौके पर गये तथा बिना अनावेदकगण को सुने व उनकी गैरमौजूदगी में बनाई गई है। इसलिए उक्त जांच रिपोर्ट विधि विरूद्ध व अविश्वसनीय होने से प्रभावहीन है। ख.नं. 631 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले की भूमि के नाम से दर्ज है उक्त नाले की गहराई भी बहुत है। उक्त नाले का भी कोई स्पष्टीकरण जांच रिपोर्ट में नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त जांच रिपोर्ट बिना मौके पर गये बनाई गई जो गलत है। अतः अनावेदकगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, खेतड़ी से पुनः मौके की जांच रिपोर्ट मंगवाई जावे।

न्यायालय ने उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर तहसीलदार, खेतड़ी की जांच रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 को सही मानते हुए अनावेदकगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2022 को खारिज किया गया।

तत्पश्चात् न्यायालय हाजा के उक्त आदेश दिनांक 12.04.2022 के विरूद्ध अनावेदकगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के यहां अपील दायर कर दी। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने प्रार्थीगण दुर्गा आदि की गिरानी सं. 2099/2022 उनवानी दुर्गा आदि बनाम दाताराम आदि को अपने आदेश दिनांक 14.12.2022 से स्वीकार कर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.04.2022 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि उभय पक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार पुनः मौका रिपोर्ट बना कर पेशें करें। तत्पश्चात् विद्वान उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उभय पक्ष को सुनकर निर्णय पारित करें। तहसीलदार, खेतड़ी ने पहले दो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। उन्हें खारिज समझा जावे।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर के आदेशानुसार प्रकरण में मौका रिपोर्ट उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार, खेतड़ी ने पुनः विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व [illegible] रिपोर्ट की रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2023/362 दिनांक 27.06.2023 से बिन्दुवार मौका [illegible] है जो निम्नानुसार है कि :–

1. राजस्व ग्राम रोजड़ा में स्थित भूमि ख.नं. 657 रकबा 0.40 है. [illegible] 2 [illegible] में पक्के आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। आवेदकगण उक्त ख.नं. 657 में पक्के

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:09:26 IST
Reason: SelfAttested

मकान बनाकर आबाद है। आवेदकगणों को उक्त खसरा नंबर में पहुंचने हेतु रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक है तथा यह रास्ता जोत (हॉलिग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।

2. उक्त खसरा नंबर में आवेदकगणों के पहुंचने हेतु वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है।
3. उक्त प्रार्थना पत्र में आवेदकगण द्वारा खसरा नंबर 657 के पश्चिम में स्थित भूमि खसरा नंबर 964/482 रकबा 1.20 है. भूमि में से होते हुए उक्त खसरा नंबर के पश्चिम में स्थित गै.मु. रास्ते पर पहुंचने हेतु रास्ते हेतु आवेदन किया है। आवेदकगण की भूमि खसरा नंबर 657 के पश्चिम में सटकर खसरा नंबर 631 गै.मु. नाला राजकीय भूमि स्थित है। उक्त नाला गैर मुमकिन नाला के पश्चिम में स्थित अप्रार्थीगणों की स्थित भूमि खसरा नंबर 964/482 के दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे रास्ते की लम्बाई जो ट्रेसिंग नक्शे में बिन्दू संख्या A से B तक लाल स्याही में अंकित किया गया है कि लम्बाई 198 मीटर बनती है। खसरा नंबर 964/482 के पूर्वी सीमा के सहारे रास्ते की लम्बाई जिसे ट्रेसिंग नक्शे में बिन्दू संख्या C से D दर्शाया गया है इसकी लम्बाई 210 मीटर बनती है। बिन्दू संख्या C से D खसरा नंबर 482 के पूर्वी सीमा से होते हुए रिकार्डेड रास्ते तक पहुंचता है। उक्त प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 482 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। आवेदकगणों के खसरा नंबर 657 के निकटतम व लघुतम रास्ते के संबंध में मुताबिक राजस्व रिकार्ड निम्नानुसार है। आवेदकगण की राजस्व दर्ज रिकार्ड है। आवेदकगण के खसरा नंबर 657 के पूर्व में खसरा नंबर 969/632 गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है। खसरा नंबर 657 से गै.मु. रास्ता खसरा नंबर 969/632 की लम्बाई ट्रेसिंग नक्शे में लाल स्याही से दर्शित बिन्दू संख्या E से F तक 172 मीटर है। इसमें आवेदकगण स्वयं का खसरा नंबर 639 जो बिन्दू संख्या E से F के मध्य स्थित है के अलावा अन्य खातेदारान जिन्हें उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है के खसरा नंबर 636, 637 की पूर्वी सीमा की लम्बाई लगभग 84 मीटर बनती है।
4. प्रस्ताव रास्ता A से B तक क्षेत्रफल 198'3 = 594 वर्गमीटर रास्ता C से D तक 210X3 =630 वर्गमीटर व रास्ता E से F तक क्षेत्रफल 88X3 = 264 वर्गमीटर क्षेत्रफल खसरा नंबर 636, 637 के अन्य खातेदारान की भूमि जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसकी डीएलसी दर 105570/– रूपये जिसकी दुगुनी राशि 211140/– रूपये है।
5. प्रस्तावित रास्ते के लिए अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त वृक्षों, फसलों या निर्माण (स्ट्रक्चर) को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान नहीं होता है।

उक्त रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मान्दरी की मूल संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दिनांकित 12.04.2023 संलग्न कर भिजवाई है जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारा [illegible] गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि कि प्रार्थीगण को खसरा नंबर 636, [illegible] में से रास्ता नहीं चाहिए। प्रार्थीगण को खसरा नंबर 964/482 [illegible] जिसके लिए प्रार्थीगण ने प्रभावित खातेदारों को आवश्यक पक्षकार बना [illegible] है। खसरा नंबर 636, 637, 482 के खातेदारों को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण ने [illegible] खसरा नंबर 964/482 के आगे स्थित खसरा नंबर 631 रकबा 1.16 है. गैर मुमकिन नाले की भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:09:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
[illegible] जिला झुन्झुनूं

भी रास्ता मांगा है जबकि मानीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गैर मुमकिन नदी नाला, जोहड़, गोचर भूमि का कोई भी रास्ता नियमन व पट्टा जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी, पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मान्दरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट अनुसार आवेदक को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मान्दरी की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.04.2023 में अंकित नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार भूमि खसरा नंबर 657 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 657 के पश्चिम में सटकर खसरा नंबर 631 गै.मु. नाला राजकीय भूमि स्थित है जो लाल स्याही से अंकित बिन्दु संख्या A से B प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 198 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौड़ाई में 594 वर्गमीटर बनता है। दूसरा प्रस्तावित रास्ता बिन्दु संख्या C से D प्रस्तावित किया है जिसमें भूमि खसरा नंबर 482 की उत्तरी सीमा के सहारे से 964/482 के उत्तरी दिशा के सहारे से होते हुए खसरा नंबर 657 की उत्तरी पश्चिमी दिशा तक प्रस्ताव किया है जिसमें भी खसरा नंबर 964/482 के पूर्वी दिशा में सटकर खसरा नंबर 631 गै.मु. नाला राजकीय भूमि स्थित है। उक्त बिन्दु संख्या C से D में प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित खसरा नंबर 482 के खातेदारों का पक्षकार नहीं बनाया गया है। भूमि खसरा नंबर 657 में पहुंचने हेतु तिसरा प्रस्तावित रास्ता बिन्दु संख्या E से F अंकित किया है जिसमें प्रभावित खसरा नंबर 637, 636 व 639 हैं जिसमें भी प्रभावित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नंबर 631 गै.मु. नाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ द्वारा लोकहित याचिका अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय अनुसार खसरा नंबर 631 गै.मु. नाला है जो एक सामुदायिक भूमि है तथा ऐसी भूमियों पर आवंटन नियमन व खातेदारी अधिकार देने से निषिद्ध रखा गया है। किन्तु भूमि खसरा नंबर 482 व 637, 636 व 639 संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण सहखातेदारों की सहमति भी आवश्यक है किन्तु पत्रावली में सहखातेदार न तो पक्षकार हैं तथा ना ही उनकी किसी प्रकार से सहमति है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के खसरा नंबर 657 तक पहुंच हेतु खसरा नंबर 964/482 की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे राजकीय भूमि 631 की पश्चिमी सीमा तक 11 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिसकी लम्बाई तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट अनुसार 198 मीटर बताई गई है। प्रार्थी के खसरा नंबर 657 व 964/482 के मध्य खसरा नंबर 631 किस्म गै.मु. नाला अवस्थित है जो कि अब्दुल रहमान बनाम सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभावित है। साथ ही तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट में प्रार्थी की खसरा नंबर 657 तक पहुंच हेतु खसरा नंबर 637, 636 व 639 (जो कि स्वयं प्रार्थीगण की खातेदारी में है) से होकर मध्य ग्रेवल रास्ता खसरा नंबर 969/632 तक लघुतम रास्ता बताया गया है जिसकी दूरी 84 मीटर बताई गई है। परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नंबरान से रास्ता नहीं चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने हेतु अन्य खातेदारों की भूमि से होकर लघुतम रास्ता [illegible] सकता है बशर्ते अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध होता हो। प्रार्थना पत्र में प[illegible]गण [illegible] लघुतम रास्ता जो तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट से जाहिर है [illegible] खातेदारों को [illegible] भी नहीं बनाया गया है एवं उक्त खसरा नंबरान 637, 636, 639 [illegible] है एवं तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अनु[illegible]वांछित रास्ते के मध्य में प्रतिबंधित भूमि खसरा नंबर 631 किस्म गै.मु. नाला अवस्थित है। अतः उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:09:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

विवेचन के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश

अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:09:26 IST
Reason: SelfAttested